कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ0ग0)

–:: आदेश ::–

क्रमांक–279 दो–11–1/2024 बिलासपुर, दिनांक 23 **अप्रैल, 2024**

माननीय रजिस्ट्री के ज्ञापन क्रमांक 6164/D.E. III-18-27/2024 (Com.App.) बिलासपुर दिनांक 16–04–2024 के अनुपालन में निम्नांकित आवेदक को इस स्थापना में रिक्त चतुर्थ श्रेणी **भृत्य** के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल–1 (वेतनमान 15600–49400) में 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से निम्नांकित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से **अनुकंपा नियुक्ति** प्रदान की जाती है :–

क्र.	आवेदक का नाम एवं पता	वर्ग	नियुक्ति का पद
1	2	3	4
1	श्री प्रशांत हथगेन, पिता–स्व0 श्री प्रभात हथगेन, पता–बुधवारी बाजार, बापू उपनगर, जिला–बिलासपुर (छ0ग0)	अनुसूचित जाति	**भृत्य**

नियुक्ति की शर्तें :–

1. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे 01 वर्ष तक और बढ़ायी जा सकेगी।
2. आवेदक को चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करना होगा, अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
3. आवेदक को अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा, पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने तथा सत्यापन में सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
4. बिना अनुमति के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, न ही बिना अनुमति के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे और न ही अध्ययन जारी रख सकेंगे।
5. अस्थायी सेवा काल में यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो 01 माह पूर्व सूचना देनी होगी या यदि तुरंत कार्यमुक्त होना चाहते है तो 01 माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो 01 माह पूर्व सूचना दी जावेगी या ऐसी सूचना के बदले 01 माह का वेतन देकर तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
6. कार्यभार ग्रहण करने के समय शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसे अवलोकन बाद तुरंत लौटाया जावेगा तथा इन दस्तावेजों की दो–दो स्वप्रमाणित छायांप्रतियां प्रस्तुत करना होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करते समय 02 नग सेवा पुस्तिका प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. आवेदक को **दिनांक 10–05–2024** तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
9. आवेदक की पदस्थापना सिविल जिला के अंतर्गत किसी भी बाह्य न्यायालय में अथवा अनुभाग में की जा सकती है।

Sd/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0

पृष्ठांकन कमांक– 736 / दो–11–1 / 2024 बिलासपुर, दिनांक 23 **अप्रैल, 2024**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक 6164/D.E. III-18-27/2024 (Com.App.) बिलासपुर दिनांक 16–04–2024 के अनुक्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, बिलासपुर की ओर उक्त आदेश की प्रति जिला न्यायालय बिलासपुर की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सहायक प्रोग्रामर को निर्देशित करने हेतु प्रेषित।
3. लेखापाल, कार्यालय अनुभाग, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री प्रशांत हथगेन, पिता–स्व0 श्री प्रभात हथगेन, पता–बुधवारी बाजार, बापू उपनगर, जिला–बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0